



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय / Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

www.epfindia.gov.in , www.epfindia.nic.in

संख्या मा.सं.प्र./ सूचना का अधिकार/ 587/2010 दिनांक 4/4/11
4950

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना ।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत श्री/श्रीमती अतयेव सिंह द्वारा उनके लिखित आवेदन दिनांक 24/3/11 के द्वारा सूचना हेतु अनुरोध किया गया है।

2. चूंकि, मुझे उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाने पर अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उस पर विचार कर सूचना देना आवश्यक है।

3. एवं चूंकि अधिनियम की धारा 5(4) में प्रावधान है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, यदि उचित समझे, अपने कर्तव्य के उचित निर्वाह हेतु किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है। उप पैरा (5) में आगे यह प्रावधान भी है कि जिस अधिकारी से सहायता मांगी गई है वह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को पूरी सहायता देगा। यदि अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण शिकायत भेज दी जाती है, तो ऐसे अन्य अधिकारी को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी माना जाएगा एवं वह अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दण्ड का भागी हो सकता है। आगे, उपबन्धों का उल्लंघन होने अथवा दस्तावेज/सूचना उपलब्ध न कराने पर ऐसा अधिकारी अधिनियम की धारा 20 (1) के अन्तर्गत देरी के लिए, 250/-रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड का भागी होगा जो कि 25000/-रूपये तक बढ़ सकता है।

4. एवं चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) में प्रावधान है कि:

“जब सूचना के लिए जन अधिकारी को आवेदन किया गया हो:-”

- जो किसी अन्य जन अधिकारी के पास उपलब्ध हो ; अथवा
- जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य जन प्राधिकारी के कार्यों से संबंध रखती हो।

जिस जन प्राधिकारी को ऐसा आवेदन किया गया हो, वह आवेदन को अथवा इसके किसी माग को, जैसा उचित समझे, उस अन्य अधिकारी के पास स्थानांतरित करेगा एवं आवेदन कर्ता को ऐसे स्थानांतरण की तत्काल सूचना देगा।

चूंकि आवेदन की जांच से मैंने पाया है कि आवेदनकर्ता ने निम्नलिखित मदों पर सूचना मांगी है:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

क्रम सं 24/3/11
1 एवम 2


आवेदन की फोटोकापी

पत्र संख्या 24/3/11

दिनांक _____ के साथ
संलग्न है

जो सभी क्षेत्रों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों/ _____ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से संबंधित एवं उपलब्ध हैं। मैं उक्त अधिनियम की धारा 5(4) का उपयोग करते हुए आवेदनकर्ता द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत गई सूचना/दस्तावेज इस प्रति की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र को स्थानांतरित करता हूँ। कृपया आप नोट करें की मांगी गई सूचना/दस्तावेज निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने में हुई देरी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दायिद्विक उपबन्ध है।

कृपया इसे अति तत्काल समझे !


(आर.के. कुकरेजा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
(मा.सं.प्र.)

सेवा में,

1. क्षेत्र के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी _____।
2. सभी क्षेत्रों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी वेब प्रशासक, एन.डी.सी., इस पत्र की प्रतिलिपि एवं दिनांक 24/3/11 का आवेदन पत्र संगठन की वेबसाईट पर डालने के लिए।
3. श्री/श्रीमति _____।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
(मा.सं.प्र.)

To

The Commissioner,
Central Provident Fund,
Bhikaji Cama Place,
New Delhi

Sub:- Information under RTI Act, 2005 - regarding

Respected Sir,

It is requested to kindly provide with the following information under RTI:

1. The number of Driver(s) appointed/promoted since, 1989 .
2. Whether promotions being made in accordance with the notified RRs.
3. Feeder Cadre for promotion to the post of LDC
4. Kindly provide photocopy of the RRs for the post of LDC under which the promotions had been made

The necessary payment, if any, for providing documents will be made accordingly. The above information may please be provided at the earliest.

Postal Order NO 92E 238328

Yours faithfully,

Baldev Singh

(BALDEV SINGH)

HOUSE NO.1081, Sector-I, R.K. Puram., New Delhi.

Dated 24th March, 2011

Copy for information to:
Director,
Central Vigilance Commission,
INA, New Delhi.



ST-4987

CFO

DL transfer to
RE-HEM.

Amit

29.3.2011

AMIT V...

14...

Central P. F. Commis...

60 (PUB)

hs

29.3.11

Dr. Manoj

535

29.3.11